

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ

(223/1 सिविल लाइन मेरठ-250001)

पत्रांक

1183

/ 14-1

दिनांक,

मेरठ

09

अक्टूबर, 2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषय:- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा गंगा कैनाल मील 106.775 से 107 तक क्षेत्रफल 0.14 हेक्टेयर एवं बाधक 14 वृक्षों के पातन एवं जनपद हापुड़ के अन्तर्गत अपर गंगा कैनाल मील 107 से 107.984 तक सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु लिंक मार्ग के निर्माण हेतु 0.6716 हेक्टेयर एवं बाधक 91 वृक्षों के पातन कुल 0.8156 हेक्टेयर संरक्षित वन के भूमि हस्तान्तरण एवं कुल बाधक 105 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव संख्या FP/UP/ROAD/39999/2019.

संदर्भ:- प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ का पत्रांक 1134/14-1 दिनांक 03.10.2019।

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ के संदर्भित पत्र से विषयक प्रस्ताव संस्तुति सहित प्राप्त हुआ है। अतः उक्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए इस कार्यालय की संस्तुति सहित 03 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(एन0क0 जानू)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ।

पत्रांक 1183 / 14-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जब तक उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार एवं उ0प्र0 शासन से विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक सम्बन्धित क्षेत्र में किसी भी दशा में कार्य न होने दिया जाये। प्रभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दे दिये जाये कि समय-समय पर क्षेत्र का भ्रमण कर निगरानी करते रहे।

(एन0क0 जानू)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ।

भाग -III

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा गंगा कैनाल मील 106.775 से 107 तक क्षेत्रफल 0.14 हेक्टेयर एवं बाधक 14 वृक्षों के पातन एवं जनपद हापुड़ के अन्तर्गत अपर गंगा कैनाल मील 107 से 107.984 तक सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु लिंक मार्ग के निर्माण हेतु 0.6716 हेक्टेयर एवं बाधक 91 वृक्षों के पातन कुल 0.8156 हेक्टेयर संरक्षित वन के भूमि हस्तान्तरण एवं कुल बाधक 105 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव संख्या FP/UP/ROAD/39999/2019.

14.	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां, तो निरीक्षक नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
15.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सूझावों से सहमत है।	सहमत है
16.	प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	प्रस्ताव जनहित में है। अतः स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

तिथि :- 09-10-2019 हस्ताक्षर

स्थान :- मेरठ

सरकारी मोहर-

नाम और पदनाम -

(एन०के० जानू)

वन संरक्षक, क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।